भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 872

दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की सुविधा

872. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में पीने योग्य जल की सुविधा राष्ट्रीय औसत से नीचे है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक घर में पीने योग्य जल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ओडिशा को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत कवरेज की मॉनीटरिंग पूर्ण रूप से कवर (एफसी) बसावटों अर्थात् उचित दूरी पर स्रोतों के साथ 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल के न्यूनतम प्रावधान के रूप में की जाती थी। जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है, एफसी, आंशिक रूप से कवर (पीसी) (अर्थात् 40 एलपीसीडी से कम सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने वाली) तथा गुणवत्ता प्रभावित (अर्थात् गुणवत्ता की समस्या वाले जल स्रोत) बसावटों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त जलापूर्ति के कुछ कारण जो स्रोत स्थायित्व से जुड़े हैं, इस प्रकार हैंः भूजल स्रोतों का घटना, विषम जलवायु परिस्थितियां, अपर्याप्त वर्षा, भूभाग की चुनौतियां, स्रोतों का संदूषण आदि और निधियों का अभाव, स्कीमों के प्रचालन एवं रखरखाव में कमी, सामुदायिक स्वामित्व का अभाव आदि।

(ख) वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के जरिए पर्याप्त मात्रा में नियमित आधार पर पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से जल जीवन मिशन (जेजेएम) आरंभ किया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ओडिशा को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वित्तीय वर्ष	जारी निधि (करोड़ रुपए में)
2016-17	134.96
2017-18	83.59
2018-19	128.82